

उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय, छबड़ा (बारा)

क्रमांक 80/25

दिनांक 25-09-25

निर्णय :-

प्राची को पुरुषोत्तम

पुत्र ~~सु~~ मांगीबाल

मांगीबाल

न मांगीबाल

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम

खल्दरपुर शेखापुर

खल्दरपुर, शेखापुर 205ला

जिला बारा में जायज अमावसी संख्या

2074-77 (2023)

40, 41, 42, 43, 212, 64 (शेखापुर)

2074-77 (2023) में खालीदार/पैरखोतेदार का नाम/प्राची

पुरुषोत्तम

पुरुषोत्तम

अंकित किया आवे प्राची के अतिरिक्त पत्नी की जायज पत्नारी

होसला

से करवाने पर भटवारी ने

पुरुषोत्तम

के बजाय

पुरुषोत्तम

करना उचित बताया। तदुपरीलदार स्वयं ने भी उचित स्थानों में

पुरुषोत्तम

करना उचित बताया।

पुरुषोत्तम

अन भटवारी, इन तदुपरीलदार की शिकायत के आधार पर जायज एवं खल्दरपुर वृत्तपाल न्यायिक न्याय एवं नियम 389 राजस्थान गृहसंरक्षण (वि आगोलन) नियम 1957 के अन्तर्गत

ग्राम खल्दरपुर, शेखापुर

के खातो संख्या

40, 41, 42, 43, 212, 64 (शेखापुर)

में खालीदार/पैरखोतेदार का नाम/प्राची

पुरुषोत्तम

के स्थान पर सम्मानजनक रूप से

पुरुषोत्तम

पंजी कराने का

आदेश दिया जाता है। तदुपरीलदार/पत्नी के अतिरिक्त पत्नी की जायज पत्नारी से करवाने पर भटवारी ने

उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
खल्दरपुर जिला बारा  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)